न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारी:– जयप्रकाश, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या:– 229/2007/रेफरेन्स

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फतेहपुर (भूमिधारी)

प्रार्थी

बनाम

1. दयानन्द चेला मोतीदास जाति स्वामी निवासी फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर

अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

वकील अप्रार्थी श्री भंवरलाल बिजारणिंया

निर्णय दिनांक:–31.07.2019

इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मांडेला छोटा तहसील फतेहपुर जिला सीकर में भूमि खसरा नम्बर 7,72 क्षेत्रफल 1611, 2/2 बीघा पुख्ता स्थित है जिसका खातेदार कास्तकार प्रतिपक्षी नम्बर 1 था एवं काबिज था। उसके अतिरिक्त इस भूमि में किसी दूसरे का हिस्सा व कब्जा नहीं था। उक्त भूमि वर्णित धारा 1 प्रार्थना पत्र को प्रतिपक्षी नम्बर 1 ने बिचोती पत्र/दान पत्र/बंधक पत्र/विनिमय/शिकमी कास्त के द्वारा प्रतिपक्षी को हस्तान्तरित कर दिया। कानून से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति अपनी जोत को किसी अन्य जाति के व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं कर सकता। प्रतिपाक्षी जाति से अनुसूचित जाति का है और प्रतिपक्षी नम्बर 1 अन्य जाति का है इसलिये हस्तानान्तरण अवैध है। निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त हस्तानान्तरण Abinition Null And Void है। प्रतिपक्षी नम्बर 1 को विवादग्रस्त भूमि धारा 1 में कानून से कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। उसका कब्जा उक्त भूमि पर अनाधिकृत है और यह कानून से उक्त भूमि पर अतिक्रमी है, और बेदखल किये जाने योग्य है। विवादग्रस्त भूमि का नामान्तकरण संख्या 127, 373 दिनांक 12.10.1975, 18.05.2004 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 42, 43, 46(ए), 46(ए) के प्रावधानों के विरूद्ध किया गया है। इस प्रकार नामान्तकरण Null And Void है और अवैधानिक तस्दीक किये गये नामान्तकरण के आधार पर प्रतिपक्षी न0 1 को किसी प्रकार के विवादग्रस्त भूमि मे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। प्रतिपक्षी नम्बर 1 ने विवादग्रस्त भूमि का अवैध हस्तान्तरण राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 42, 43, 46(ए), 46(ए)के विरूद्ध हस्तान्तरण किया है इसलिये इस भूमि से कोई ताल्लुक नही रहा है और यह भूमि कानूनन राजस्थान सरकार की हो गई है। नामान्तकरण संख्या 127, 373 दिनांक 12.10.1975, 18.05.2004 ग्राम माण्डेलो छोटा को निरस्त करने हेतु राजस्व मण्डल अजमेर को अभिदेश (Refer) किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमांबंदी सं. 2011 से 2014 में भूमि धारक के कॉलम में माफी मन्दिर श्री बालाजी वाके कस्बा फतेहपुर व अहतम पुजारी पोकरदास चेला रामदास स्वामी के नाम से दर्ज रिकार्ड रही है। जमाबन्दी सम्वत् 2018 से 2021 तक मन्दिर श्री बालाजी के नाम से रही है। जमाबन्दी सम्वत् 2022 से 2025 में काश्तकार के कॉलम में मोतीदास चेला पोखरदास स्वामी सा. फतेहपुर के नाम से दर्ज रेकार्ड अंकित है।

Web Copy - Not Official

पश्चात् जमाबन्दी सम्वत् 2026–2029, 2030–2033 में मोतीदास चेला पोखरदास स्वामी सा. फतेहपुर के नाम से दर्ज रेकार्ड रही है। सम्वत् 2030–2033 में मोतीदास चेला पोकरदास फौत होने पर उक्त खातेदारी दयानन्द दास चेला मोतीदास के नाम से नामान्तकरण संख्या 127 के द्वारा तस्दीक कर दी गई। जमाबन्दी सम्वत् 2033 से 2036 में उक्त खातेदारी दयानन्ददास चेला मोतीदास के नाम से दर्ज रेकार्ड है जो कि जमाबन्दी सम्वत् 2055–2058 तक दयानन्ददास के नाम से रही है। उसके पश्चात् नामान्तकरण संख्या 373 दिनांक 18.05.2004 मुताबिक रहन पत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा फतेहपुर के नाम से तस्दीक कर दिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2011 से 2014 में खातेदारी माफी मन्दिर श्री बालाजी वाके कस्बा फतेहपुर व अहतम पुजारी पोकरदास चेला रामदास स्वामी के नाम से दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी सम्वत् 2022 से 2025 के मुताबिक उक्त खातेदारी बिना किसी आदेश के अप्रार्थी मोतीदास चेला पोखरदास स्वामी सा. फतेहपुर के नाम दर्ज कर दी गई है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से उक्त वर्णित आराजीयात सम्वत् 2011 से 2014 से पूर्व माफी मन्दिर श्री बालाजी के नाम से दर्ज रिकार्ड थी। उसके पश्चात् सम्वत् 2022 से 2025 में काश्तकार के कॉलम में मोतीदास चेला पोखरदास स्वामी सा. फतेहपुर के नाम से दर्ज कर दी गई जो कि जमाबन्दी सम्वत् 2030–2033 तक मोतीदास चेला पोखरदास स्वामी सा. फतेहपुर के नाम से दर्ज रेकार्ड रही है। सम्वत् 2030–2033 में मोतीदास चेला पोकरदास फौत होने पर नामान्तकरण संख्या 127 के द्वारा दयानन्द दास चेला मोतीदास के नाम से तस्दीक कर दिया गया। उसके पश्चात् नामान्तकरण संख्या 373 दिनांक 18.05.2004 मुताबिक रहन पत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा फतेहपुर के नाम से तस्दीक कर दिया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2011 से 2014 में खातेदारी माफी मन्दिर श्री बालाजी के नाम से दर्ज रेकार्ड होने के उपरांत सम्वत् 2022 से 2025 में उक्त मन्दिर की खातेदारी मोतीदास चेला पोखरदास स्वामी सा. फतेहपुर के नाम से दर्ज कर दी गई, जो बिना किसी आदेश के दर्ज कर दी गई है। मूर्ति मन्दिर की खातेदारी में दर्ज भूमियों पर किसी अन्य को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 के अनुसार खातेदारी अधिकार प्रोद्भुत नहीं होते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किये जाने योग्य है।

निष्कर्षतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर ग्राम माण्डेला छोटा तहसील फतेहपुर जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 7 व 72 के सम्बंध में तस्दीक नामान्तकरण संख्या 127 दिनांक 12.10.1975 व नामान्तकरण संख्या 373 दिनांक 18.05.2004 के द्वारा अन्य खातेदारान के नाम दर्ज हुई है, जो निरस्त होने योग्य है। खातेदारी निरस्त किये जाने की अभिशंषा के साथ पत्रावली माननीय निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजकर अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि पुनः माफी मन्दिर श्री बालाजी के नाम दर्ज की जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/7/19

(जयप्रकाश)

अति. जिला कलक्टर, सीकर

अति. जिला कलक्टर, सीकर

Web Copy - Not Official